



125

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/ 115-720/ 2575

रायपुर, दिनांक 13/10/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
छत्तीसगढ़

विषय: - **Diversion of Forest land (4.309 ha) for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation - reg. पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Others/27773/ 2017**

संदर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक FC-I/IROCH-07/2021/ 283 दिनांक 29.09.2021

= 0 =

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भ पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संक्षेप - उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-720/ 2576

रायपुर, दिनांक 13/10/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-22/2019/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/10/2021
प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- Diversion of forest land (4.309 ha) for non-forestry purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for skill upgradation -reg.

संदर्भ:- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्र. FC-I/IROCH-7/2021/283, दिनांक 29.09.2021।

विषयांतर्गत एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/- आदेशानुसार निवेदन है कि, कृपया भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित अतिरिक्त जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

Kajal
7.10.21
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ-5-22/2019/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/10/2021
प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 - 4.आवेदनकर्ता प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Kajal
7.10.21
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

F-5-22/2019/10-2

पंजी क्रमांक. भ. व. व. 281

/201/10-2/वन

दिनांक. 04/10/2021

भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक,
सेक्टर-19, नया रायपुर, अटल नगर
छत्तीसगढ़ - 492002
ईमेल- iro.raipur-mefcc@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE
ARANYA BHAWAN, NORTH BLOCK, SECTOR-19, NAYA
RAIPUR, ATAL NAGAR, CHHATTISGARH - 492002
Email - iro.raipur-mefcc@gov.in

F.No. FC-I/ROCH-7/2021/283

पंजी
श्रीमती साहू

Date: 29/09/21

The Principal Secretary (Forests),
Govt. of Chhattisgarh,
Mahanadi Bhawan, Naya Mantralya,
Naya Raipur, Chhattisgarh (India)

Sub: Diversion of forest land (4.309 ha) for non- forestry purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for skill upgradation -reg.

Sir,

Kindly refer the letter no. F-5-22/2019/10-2 dated 08.07.2021 of the Government of Chhattisgarh on the above subject seeking approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. It is to inform that preliminary scrutiny of the proposal in the Integrated Regional Office, MoEF&CC revealed the following:

- Name of signing authorities has not been mentioned in Part-I.
- Part-IV is not submitted in original.
- Examination of compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, revealed that certificate issued by District Collector is not submitted in original.
- User Agency has not been mentioned the District Level Committee consultations/proceedings along with proposal.
- Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.

In view of the above, it is requested to submit the information on the shortcomings, indicated above, for consideration of the proposal for approval under the Forest (Conservation) Act, 1980.

Chaturbhuj
29/9/21
Chaturbhuj Behera
Inspector General of Forests

Copy to:

- The PCCF (HoFF), Government of Chhattisgarh, Aranya Bhawan, Sector-19, Nava Raipur, C.G.
- The Addl. PCCF & Nodal Officer (FCA), Government of Chhattisgarh, Aranya Bhawan, Sector-19, Nava Raipur, C.G.
- User agency.
- Guard file.

Chaturbhuj Behera
Inspector General of Forests

3/10

4/10
29/10